दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शनिवार 01 अप्रैल 2023

www.nyaysakshi.com



## महत्वपूर्ण एवं खास

### रोजगार मेला में होगी स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों में भर्ती

**रायगढ़।** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कलेक्टर दर पर भर्ती (89 दिवस अवधि)हेतु विकासखण्ड तमनार रायगढ़ में 4 अप्रैल को आयोजित रोजगार मेला में स्वास्थ्य विभाग से फीडिंग डिमांस्ट्रेटर, आप्टीमेट्रिस्ट, डेन्टल असिस्टेंट व सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के एक-एक पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्यता संबंधी अधिक जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट www.raigarh.gov.in में अवलोकन कर सकते है।

### स्वास्थ्य विभाग : वॉक इन इंटरव्यू पश्चात परिणाम घोषित

**रायगढ़।** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न पदों पर 27 मार्च 2023 को लिए गए वॉक इन इंटरव्यू के परिणाम सूची कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ में चस्पा किया गया है। आवेदक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर सूची का अवलोकन कर सकते है।

### आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए 17 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

**रायगढ़।** एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र कलमी-1, ग्राम पंचायत कलमी विकासखण्ड रायगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद के लिए 17 अप्रैल 2023 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत निर्देश व नियम शर्तो की जानकारी परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते है। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ (ग्रामीण) में संपर्क कर सकते है।

### तारमिस्त्री परीक्षा के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक आमंत्रित

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत संभागीय अनुज्ञापन समिति (विद्युत) रायगढ़ के द्वारा तारमिस्त्री परीक्षा विगत वर्षो की भांति इस वर्ष 2023 के माह जुलाई में आयोजित की जाएगी। समस्त संबंधित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आवेदनकर्ता, परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र कार्यालयीन अवधि में कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन रायगढ़ संभाग रायगढ़ दुर्गा चौक उत्तर चक्रधरनगर रायगढ़ (छ.ग.) से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा या सीधे इस कार्यालय में 30 अप्रैल 2023 तक जमा किया जा सकता है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे।

### बेरोजगारी भत्ता संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए अधिकारियों की दूरभाष सूची जारी

**सारंगढ़ बिलाईगढ़।** संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के क्रियान्वयन के लिए भविष्य में प्रदेश के अधिकारियों, आवेदकों एवं आम नागरिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशासकीय एवं तकनीकी प्रश्न किए जाने की संभावना है, जिसके युक्तिसंगत शंकाहित उत्तर देने के लिए संचालनालय स्तर पर अधिकारियों की ड्यूटी आदेश जारी की गई है। कोई भी नागरिक बेरोजगारी भत्ता से जुड़े अपने प्रश्नों का समाधान मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछ सकते है। जिन अधिकारियों की ड्यूटी है, उनमें व्ही.के. केडिया उप संचालक रोजगार मो.नं. 9425517119, चिन्मय चौधरी सहायक संचालक मो.न.9425246949, शोध अधिकारी चंद्रिका पोटाई मो.नं.9977896906, प्रोग्रामर मनोज चौधरी मो.नं. 9340834869, सहायक प्रोग्रामर मुकेश राजवाड़े मो.नं. 9753525069 है।

# बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्रैल में किसी भी तारीख को कराएं पंजीयन, मिलेगा अप्रैल माह का पूरा भत्ता

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की घोषणा
- आज से शुरू होगा बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन
- लोकसेवा केन्द्रों से भी किया जा सकेगा आवेदन
- मोबाइल में मैसेज से मिलेगी दस्तावेज सत्यापन के लिए तारीख और समय की सूचना
- दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए विकासखण्डों में बनाए गए हैं 58 और नगरीय निकायों में 18 क्लस्टर
- रायगढ़ नगर निगम के लिए बने 6 क्लस्टर

**रायगढ़।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बेरोजगारी भत्ता के संबंध में अहम घोषणा की है। जिसके मुताबिक अप्रैल माह के किसी भी तारीख को पंजीयन कराने पर माह का पूरा भत्ता आवेदक को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ते के लिये आवेदन ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो जाएगा। आवेदन किसी भी स्थान से ऑन लाइन पोर्टल पर किया जा सकता है। इस पोर्टल का लिंक http://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx. है। आवेदक अपने नजदीकी लोकसेवा केन्द्र, चॉइस सेंटर में भी उपस्थित होकर पंजीयन करा सकते है। जरूरी प्रमाण पत्र भी पंजीयन के समय अपलोड कराना होगा। अपलोड किए गए आवेदन के प्रिंट निकलवाकर समस्त मूल दस्तावेज के साथ कलस्टर के सत्यापन स्थल में उपस्थित होना है। इसके लिए उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से निर्धारित समय एवं तिथि की सूचना दी जाएगी। सत्यापन टीम के समक्ष उपस्थित होने पर आवेदन पर की गई कार्यवाही की सूचना भी आवेदक के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील प्रथम आदेश की तिथि से 15 दिन के अंदर कलेक्टर न्यायालय में कर सकेंगे।

गौरतलब है बेरोजगारी भत्ते की पात्रता केवल उन्हीं व्यक्तियों को है जिनका पंजीयन कम से कम 2 वर्ष पुराना है। नया पंजीयन कराने वालों को बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नही है। पंजीयन के लिये रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नही है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी 2 माह के भीतर कभी भी कराया जा सकता है, इसलिये नवीनीकरण के लिये भी किसी प्रकार की जल्दीबाजी करने की भी आवश्यकता नही है।

**जनपदों में 58 तो नगरीय निकायों में 18 क्लस्टर बनाए गए-** राज्य शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु रायगढ़ जिले के 7 जनपद पंचायतों में कुल 58 तथा 7 नगरीय निकायों में 18 कलस्टर का गठन किया गया है। प्रत्येक कलस्टर में तीन सदस्यों की एक-एक टीम एवं नगर निगम रायगढ़ के प्रत्येक कलस्टर में दो-दो टीम आवेदनों के ऑनलाईन एवं भौतिक सत्यापन के लिए गठित की गई है। कलस्टर की संपूर्ण व्यवस्था के लिए सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सभी कलस्टर में आवेदकों की सुविधा हेतु छाया, पानी एवं बैठने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।

**नगर निगम रायगढ़ के लिए बने 6 क्लस्टर-** नगर निगम रायगढ़ में आवेदकों की संख्या को देखते हुए 6 क्लस्टर बनाए गए हैं। जो इस प्रकार से हैं- 1.शास.डॉ.कैलाशनाथ काटजू उच्च माध्य.विद्या.रामभांठा, 2.शास. भूपदेव पूर्व माध्य.विद्यालय केवड़ाबाड़ी, 3.स्वामी आत्मानन्द स्कूल, प्रा.शा.भवन नटवर स्कूल मैदान, 4.किरोड़ीमल शा.पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम भवन चक्रधर नगर, 5.नगर निगम ऑडिटोरियम भवन पंजरी प्लांट एवं 6.राजीव गांधी उ.मा.वि.मिठ्ठुमुड़ा में कलस्टर बनाया गया है।

## 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए 3 शासकीय सेवकों को कलेक्टर के हाथों मिला विदाई का तोहफा

- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने पेंशन भुगतान आदेश सौंप कर प्रशासन की ओर से दी शुभकामनाएं

**रायगढ़।** रिटायर हुए 3 शासकीय सेवकों को उनकी सेवानिवृत्ति के ही दिन 31 मार्च को कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश सौंप दिया। कलेक्टर सिन्हा ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके स्वस्थ, सुखद व दीर्घायु जीवन के लिए शुभकामनाएं दी।

सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों ने कलेक्टर सिन्हा तथा कोषालय विभाग का आभार जताया कि समय पर उनके पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी कर दिया गया है। इससे उन्हें बड़ी सहूलियत होगी। दिनांक 31 मार्च 2023 को 3 कर्मचारी जिनमें पशु चिकित्सा विभाग के पट्टीबंधक मिनकेतन लाल यादव, पुलिस विभाग के प्रधान आरक्षक होलसाय एक्का एवं वन विभाग के वायरलेस ऑपरेटर इन्द्रजीत सिंह राणा सेवानिवृत्त हुए हैं। सभी को आज ही उनके पेंशन प्रकरण का निराकरण कर पेंशन पेमेंट ऑर्डर और ग्रेच्युटी पेमेंट ऑर्डर की कॉपी प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के तहत सेवानिवृत होे रहे अधिकारी कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के समय पर ही प्रकरण निराकृत कर भुगतान आदेश दिया जा रहा है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी बी.एस.मंडावी ने बताया कि रायगढ़ से 3 प्रकरण के लिये संबंधित आहरण अधिकारी के माध्यम से समस्त दस्तावेज तैयार करावाकर कर्मचारियों को सौंपा गया। उन्होंने समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों से आग्रह किया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय पर ऑनलाइन भेजे ताकि सेवानिवृत्ति उपरांत तत्काल पीपीओ एवं जीपीओ प्रदान किया जा सके। इस मौके पर वरिष्ठ कोषालय अधिकारी बी.एस.मंडावी उपस्थित रहे।

## सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आज से शुरू : सर्वे करने घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक, 30 अप्रैल तक चलेगा सर्वे

- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शासन की महत्वपूर्ण पहल, पूरी सजगता से हो कार्य-कलेक्टर सिन्हा
- हर पंचायत के लिए गठित किए गए हैं प्रगणक दल
- जिले के 549 ग्राम पंचायतों के लिए 944 प्रगणक दल और 124 सुपरवाइजर्स किए गए हैं तैनात

**रायगढ़।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार आज 01 अप्रैल से रायगढ़ जिले में निवासरत ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शुरू होने जा रहा है। यह कार्य अगले 30 अप्रैल तक चलेगा। सर्वे के कार्य करने के लिए प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। जो घर-घर पहुंचकर जानकारी एकत्र करेंगे। इनके कार्य की मॉनिटरिंग के लिए, सुपरवाइजर्स की नियुक्ति भी की गयी है। कलेक्टर सिन्हा ने पिछले दिनों बैठक में सभी मास्टर ट्रेनर्स, सुपरवाइजर्स और प्रगणक दलों को संबोधित करते हुए कहा था कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। इसे पूरी सजगता और गंभीरता से किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने नोडल अधिकारियों को कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

सामाजिक.आर्थिक सर्वेक्षण हेतु परिवार की इकाई राशन कार्ड को तथा सर्वेक्षण हेतु बेसिक डाटा खाद्य विभाग द्वारा बनाए गये राशन कार्ड की जानकारी से प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे परिवार, जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनकी सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से ली जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्थिति में उक्त परिवार सर्वेक्षण में छूटें नहीं। ग्राम पंचायत स्तर में सर्वे करने प्रगणक दल का गठन किया गया है जिसमें 01 महिला सदस्य एवं 01 पुरुष सदस्य शामिल हैं। कार्य के सुचारू संचालन के लिए जनपद स्तर पर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सर्वे के दौरान सर्वेक्षित परिवार से जुड़ी जानकारी एकत्र किया जाएगा। ताकि किसी योजना के तहत दिए जाने वाले अनुदान हेतु पृथक से दस्तावेजों की मांग करने की आवश्यकता न हो।

**सर्वेक्षण के लिए 944 प्रगणक दल और 124 सुपरवाइजर्स किए गए नियुक्त**

रायगढ़ जिले के सभी 7 विकासखंडों के लिए प्रगणक और सुपरवाइजर की टीम नियुक्त की गयी है। सभी टीमों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। रायगढ़ जिले के 549 ग्राम पंचायतों के लिए 944 प्रगणक दल का गठन किया गया है। कार्य की मॉनिटरिंग के लिए 124 सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं।

## बोगस नंबर प्लेट लगे ट्रेलर वाहन पर कोतरा रोड पुलिस ने की कार्यवाही

- आयरन कोर लोड ट्रेलर वाहन के इंजन और ट्राली पर लिखे थे अलग-अलग नंबर
- फर्जी दस्तावेजों से किया जा रहा था ट्रेलर में परिवहन, धोखाधड़ी के आरोप में ड्रायवर गिरफ्तार, गया जेल

**रायगढ़।** वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन पर करीब एक पखवाड़ेर पूर्व कोतरारोड पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर गोरखा के एक गैराज में दबिश देकर एक नंबर प्लेट से चल रहे दो ट्रेलर वाहनों को पकड़ा गया था जिसमें ट्रेलर के ड्रायवर, वाहन मालिक और गैरेज के वाहन मिस्त्री पर कार्यवाही की गई थी।

रायगढ़ एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा क्षेत्र में ट्रक, ट्रेलर की चोरी एवं वाहन के फर्जी दस्तावेज व अन्य प्रकार की कुटरचना के परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित करने थाना, चौकी प्रभारियों को मुखबिर सक्रिय कर कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में कल मुखबीर सूचना पर थाना कोतरारोड़ की टीम द्वारा कोसमनारा चौंक पर खड़ी संदिग्ध एक टाटा ट्रेलर 18 चक्का माडल 4018 को चला रहे वाहन चालक पर कार्यवाही किया गया। पुलिस की तस्दीक में ट्रेलर वाहन क्रमांक OD 23 H 2139 जिसके ट्राली के पीछे नंबर प्लेट पर OR 15 L 2872 लिखा हुआ था जिसे कालिख से पोता गया था। मामला संदेहास्पद प्रतीत होने पर वाहन के चालक लखन यादव से पूछताछ कर उसे वाहन तथा परिवहन के संबंध में कागजात पेश करने को कहा गया। वाहन चालक ने ओड़िशा से वाहन में आयरन कोर लेकर पूंजीपथरा लेकर जाना बताया जिसके पास कोई कागजात नहीं था।

आरोपी वाहन चालक लखन यादव पिता पुना यादव उम्र 27 साल मूल निवासी सिलडिलिया थाना डोगरगिया जिला गया (बिहार) हाल मुकाम सतगांव बैतबिहा हरिगंज थाना हरिगंज जिला पलामू (झारखंड) के द्वारा ट्रेलर वाहन OD 23 H 2139 जिसके ट्राली के पीछे नंबर प्लेट पर OR 15 L 2872 पर कालिख पोत धोखाधड़ी कर असली के रूप में उपयोग में लाये जाने पर जाने पर आरोपी लखन यादव वर धारा 420, 468, 471 आईपीसी के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया जहां आरोपी का ज्युडिसियल रिमांड स्वीकृत कर आरोपी को जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा, सुपरविजन अधिकारी डीएसपी (IUCAW) निकिता तिवारी के मार्गदर्शन पर धोखाधड़ी की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद राठौर और आरक्षक राकेश नायक की अहम भूमिका रही है।

## 15 बुजुर्गों को प्रदाय किया गया वॉकिंग स्टीक

**रायगढ़।** राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रायगढ़ शहरी क्षेत्र में संचालित वृद्धा आश्रमों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों एवं अन्य स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से चिन्हित किये गये बुजुर्गों को वॉकिंग स्टीक का वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में आज 15 चिन्हित बुजुर्गों को बेहतर चलने में मदद हेतु वॉकिंग स्टीक का वितरण शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामभांठा में किया गया। इस मौके पर महापौर जानकी काटजू, वार्ड पार्षद ईश कृपा, सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक प्रभुदत्ता बस्तिया, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ.काकोली पटनायक, फिजियो थेरेपिस्ट सुश्री भावना साहू एवं शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के अन्य स्टॉफ एवं मितानिन उपस्थित थे।

## वनकर्मियों से मारपीट मामले में आरोपी गिरफ्तार, धरमजयगढ़ पुलिस ने गैर जमानतीय धाराओं में भेजा रिमांड पर

**रायगढ़।** 07 मार्च की रात थाना धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम सिसरिंगा के ओमप्रकाश गुप्ता के द्वारा उसके लड़के व अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर वन परिक्षेत्र सिसरिंगा में कार्यरत वनकर्मियों के साथ गाली-गलौच मारपीट किया गया था।

घटना को लेकर दूसरे दिन सुबह परिक्षेत्र सहायक सिसरिंगा के हीरालाल सरजाल द्वारा थाना धरमजयगढ़ में ओमप्रकाश गुप्ता व अन्य के द्वारा वनकर्मियों के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में व्यवधान को लेकर लिखित शिकायत दिया गया। आहतों का मुलाहिजा कराकर शिकायतकर्ता हीरालाल सरजाल व गवाहों का बयान लिया गया जिसमें शिकायतकर्ता और गवाह बताये कि दिनांक 07.03.2023 को रात्रि करीब 10.30 बजे गश्त के दौरान वनकर्मी हीरालाल सरजाल एवं वन चौकीदार अर्जुन सिंह यादव सिसरिंगा से जामावीरा की ओर से गए थे, उसी दौरान जामावीरा की ओर से एक बिना नंबर ट्रेक्टर में लकड़ी लोड कर कुछ लोग जा रहे थे जिसे रोकने का प्रयास किये तो वे गाड़ी नहीं रोके। वनकर्मी अपने अन्य स्टाफ को मोबाइल पर कॉल कर बताये और गाड़ी का पीछा करते हुए सिसरिंगा ओम प्रकाश के घर के पास पहुंचे, जहां ओम प्रकाश और उसके लड़के, ओम प्रकाश के यहां काम करने वाले मजदूर वनकर्मियों से गाली गलौच कर मारपीट किये। शिकायत जांच पर 10 मार्च को वनकर्मियों से मारपीट करने वाले आरोपी - ओम प्रकाश, गणेश प्रसाद, फुल प्रसाद, मनीष गुप्ता, सकुंतला गुप्ता पर नामजद धारा 147, 186, 294, 506, 332, 353 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बाद से आरोपीगण गिरफ्तारी से बचाने फरार थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक सीताराम ध्रुव फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी के लिये दबाव बनाया जा रहा था जिससे आरोपीगण कहीं शरण नहीं ले पा रहे हैं। कल सुबह ओमप्रकाश गुप्ता का लड़का आरोपी फुल प्रसाद गुप्ता (27 साल) को गांव के बाहर देखा गया। तत्काल मुखबिर सूचना पर धरमजयगढ़ पुलिस टीम ग्राम सिसरिंगा दबिश देकर आरोपी फुल प्रसाद गुप्ता को हिरासत में लिया गया जिसे गैर जमानतीय धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है, अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस टीम छापेमार कार्यवाही कर रही है।

## एबिस चिकन फार्म से 860 मुर्गी और 1 टन, 70 किग्रा मुर्गी दाना गायब, कंपनी के आडिट में मिली गड़बड़ी

- एबिस एक्सपोर्टस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के कोसमनारा के फार्म इंचार्ज पर थाना कोतरारोड में एफआईआर

**रायगढ़।** थाना कोतरोड क्षेत्र अंतर्गत कोसमनारा में एबिस एक्सपोर्टस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, चिकन फार्म की शाखा संचालित है। कंपनी के मुख्य शाखा की ओर से ब्रांचों के ऑडिट के आदेश पर कंपनी के आडिटर डोमन साहू और टामेश्वर बन गोस्वामी 26 मार्च को कोसमनारा पहुंचकर एबिस चिकन ब्रांच में मुर्गियों के दाना, मुर्गियों का रख रखाव, प्रत्येक दिन का स्टाक रिपोर्ट, प्रत्येक मुर्गी व दाना का हिसाब, प्रतिदिन का आवक जावक का आडिट कर भौतिक सत्यापन किया गया। ब्रांच इंचार्ज कृष्णनन उत्सव रामटेके द्वारा ऑडिटर्स को पोस मशीन सिस्टम में दिनांक 26.03.2023 की स्थिति में 860 नग मुर्गी (वजन दो टन छः सौ पच्चासी किलो तीन सौ ग्राम) उपलब्ध होना बताया है किन्तु फिजिकल में स्टाक पर कोई मुर्गी नहीं था। प्रति किलो 100 रू. (एक सौ रूपये) के हिसाब से मुर्गी की कुल कीमत रु.2,68,825 तथा मुर्गी का दाना पोस मशीन सिस्टम में दिनांक 26.03.2023 की स्थिति में 02 टन 670 किलो उपलब्ध होना बताया है किन्तु भौतिक सत्यापन पर 01 टन 600 किलो उपलब्ध होना जिससे 01 टन 70 किलो कम होना पाया गया। मुर्गी दाना का प्रति किलो कीमत 26 रुपये 11 पैसे के हिसाब से 01 टन 70 किलो का कुल रकम 27,938 रूपये का कम था। इस तरह मुर्गी की कीमत 2,68,825 रूपये एवं मुर्गी दाना की कीमत 27,938 रूपये कुल कीमत 2,96,763 रूपये का इंचार्ज कृष्णनन उत्सव रामटेके द्वारा अमानत में खयानत कर कंपनी के साथ धोखाधडी कर अपराध घटित करना पाया गया। ऑडिटर डोमन साहू पिता स्व. मानदास उम्र 53 वर्ष निवासी बीजाभांठा थाना डोगरगांव जिला राजनांदगांव के रिपोर्ट पर ब्रांच के इंचार्ज कृष्णनन उत्सव रामटेके पिता रमेश रामटेके निवासी कबीर चौक एफसीआई गोदाम के सामने जूटमिल रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के विरूद्ध धारा 406 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, आरोपी फरार है जिसके पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये थाना प्रभारी कोतरारोड द्वारा मुखबिर लगाये गये हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480